न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2016/00437 (183/2016)प्रा.डिकी. **दायरा दिनांक : 22.03.2016**

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र श्री देवलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
2. स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल पुत्र देवलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   2/1– स्वर्गीय गिरजा शंकर आत्मज स्वर्गीय कन्हैयालाल जी मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   2/1/1. लोकेश आत्मज स्वर्गीय श्री गिरजाशंकर जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
   2/1/2. बन्टी आत्मज स्वर्गीय श्री गिरजाशंकर जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
   2/1/3. रोहित आत्मज स्वर्गीय श्री गिरजाशंकर जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
   2/1/4. श्रीमती चन्द्रकला पुत्री स्वर्गीय श्री गिरजाशंकर जी, पत्नी श्री देवेन्द्र जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
   2/1/5. चमेली बाई पत्नी स्वर्गीय श्री गिरजाशंकर जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. कानजी पुत्र श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
2. स्वर्गीय बाबूलाल पुत्र श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   2/1. बुद्धिप्रकाश पुत्र श्री बाबूलाल, जाति गुंसाई, निवासी रीझां
   2/2. छोटेलाल पुत्र श्री बाबूलाल, जाति गुंसाई, निवासी रीझां
   2/3. जानकी बाई बेवा श्री बाबूलाल, जाति गुंसाई, निवासी रीझां
   2/4. निर्मल आयु 16 वर्ष श्री बाबूलाल नाबालिग
   2/5. विकास आयु 14 वर्ष श्री बाबूलाल नाबालिग
   जरिये वली एवं सरपरस्त माता जानकी बाई बेवा श्री बाबूलाल, जाति गुंसाई, निवासीगण ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान हाल निवासी कोटा राजस्थान
3. इन्द्रा बाई पुत्री श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां
4. सुरेश बाई पुत्री श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

5. रामप्यारी पुत्री श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां
6. बबली बाई पुत्री श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां
7. सावित्री पुत्री श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां
8. पप्पू पुत्र तुलसीराम नाबालिग
9. कुसुम पुत्री तुलसीराम नाबालिग
   जरिये वली माता पुष्पाबाई बेवा तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासीगण ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
10. मन्जू पुत्री तुलसीराम पत्नी श्री पुरूषोत्तम जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
    10/1 श्रीमती शानू पुत्री पुरूषोत्तम जी पत्नी निखिल जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम ढाबा, तहसील दीगोद, जिला कोटा
    10/2 श्रीमती सुनीता पुत्री स्वर्गीय पुरूषोत्तम जी पत्नी गोलूनाथ जी, जाति नाथ, निवासी रेल्वे कॉलोनी पानी की टंकी के पास, सवाईमाधोपुर राजस्थान
    10/3 पुरूषोत्तम पुत्र बिरधीलाल जी, जाति गुसाई, निवासी छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
    10/4 मनीष आयु 16 वर्ष पुत्र श्री पुरूषोत्तम नाबालिग जरिये बबिलायत पिता स्वयं पुरूषोत्तम पुत्र बिरधीलाल जी, जाति गुसाई हाल निवासी गोस्वामी मोहल्ला गोमी बिहार प्रथम बोरखेडा, कोटा राज0
11. पुष्पा बेवा श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
12. प्रभूलाल पुत्र श्री नारायण पुरी (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
    12/1. हेमराज पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
    12/2. भूलीबाई पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नी श्री रामचन्द्र, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बाली, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
    12/3. सोदम बाई पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नी श्री मोहनलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बनिया, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
13. स्वर्गीय कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
    13/1. ओम प्रकाश पुत्र कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
    13/2. हंसराज पुत्र कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां
    13/3. मुरारी पुत्र कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां
    13/4. कैलाश कुमारी पुत्री कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
    13/5. बृजेश कुमारी पुत्री कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी कोटा, जिला कोटा राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

13/6. रामदुलारी पुत्री कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम नोनरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान

13/7. कुसुम पुत्री कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी कोटा

14. बाबूलाल पुत्र श्री श्यामलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

15. शांति बाई पुत्री श्री श्यामलाल, जाति गुंसाई, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान

16. विद्याबाई पुत्री श्री श्यामलाल पत्नी श्री रामनारायण, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान हाल निवासी ग्राम अकतासा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी राजस्थान

17. मांगीबाई पुत्री श्यामलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

18. कान्ति बाई पुत्री श्री श्यामलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

19. गीताबाई पुत्री श्री श्यामलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–

19/1. मूलचन्द आत्मज स्वर्गीय श्री बद्रीलाल जी, जाति गुंसाई, निवासी ग्राम टोडी मोहल्ला, मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान

20. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार छबडा कार्यालय, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

21. सुशीला पुत्री स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी पत्नी छोटूलाल जी, जाति गुंसाई, निवासी ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2016/00436 (184/2016) अंतिम डिकी **दायरा दिनांक : 11.04.2016**

उनवान

3. रामप्रसाद पुत्र श्री देवलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

4. स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल पुत्र देवलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–

2/1– स्वर्गीय गिरजा शंकर आत्मज स्वर्गीय कन्हैयालाल जी मृतक जरिये कायम मुकामान :–

2/1/1. लोकेश आत्मज स्वर्गीय श्री गिरजाशंकर जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

2/1/2. बन्टी आत्मज स्वर्गीय श्री गिरजाशंकर जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

2/1/3. रोहित आत्मज स्वर्गीय श्री गिरजाशंकर जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

2/1/4. श्रीमती चन्द्रकला पुत्री स्वर्गीय श्री गिरजाशंकर जी, पत्नी श्री देवेन्द्र जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

2/1/5. चमेली बाई पत्नी स्वर्गीय श्री गिरजाशंकर जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

22. कानजी पुत्र श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

23. स्वर्गीय बाबूलाल पुत्र श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–

2/1. बुद्धिप्रकाश पुत्र श्री बाबूलाल, जाति गुंसाई, निवासी रीझां

2/2. छोटेलाल पुत्र श्री बाबूलाल, जाति गुंसाई, निवासी रीझां

2/3. जानकी बाई बेवा श्री बाबूलाल, जाति गुंसाई, निवासी रीझां

2/4. निर्मल आयु 16 वर्ष श्री बाबूलाल नाबालिग

2/5. विकास आयु 14 वर्ष श्री बाबूलाल नाबालिग

जरिये वली एवं सरपरस्त माता जानकी बाई बेवा श्री बाबूलाल, जाति गुंसाई, निवासीगण ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान हाल निवासी कोटा राजस्थान

24. इन्द्रा बाई पुत्री श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां

25. सुरेश बाई पुत्री श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां

26. रामप्यारी पुत्री श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां

27. बबली बाई पुत्री श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां

28. सावित्री पुत्री श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां

29. पप्पू पुत्र तुलसीराम नाबालिग

30. कुसुम पुत्री तुलसीराम नाबालिग

जरिये वली माता पुष्पाबाई बेवा तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासीगण ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

31. मन्जू पुत्री तुलसीराम पत्नी श्री पुरूषोत्तम जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–

10/1 श्रीमती शानू पुत्री पुरूषोत्तम जी पत्नी निखिल जी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम ढाबा, तहसील दीगोद, जिला कोटा

10/2 श्रीमती सुनीता पुत्री स्वर्गीय पुरूषोत्तम जी पत्नी गोलूनाथ जी, जाति नाथ, निवासी रेल्वे कॉलोनी पानी की टंकी के पास, सवाईमाधोपुर राजस्थान

10/3 पुरूषोत्तम पुत्र बिरधीलाल जी, जाति गुसाई, निवासी छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

10/4 मनीष आयु 16 वर्ष पुत्र श्री पुरूषोत्तम नाबालिग जरिये बबिलायत पिता स्वयं पुरूषोत्तम पुत्र बिरधीलाल जी, जाति गुसाई हाल निवासी गोस्वामी मोहल्ला गोमी बिहार प्रथम बोरखेडा, कोटा राज0

32. पुष्पा बेवा श्री तुलसीराम, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

33. प्रभूलाल पुत्र श्री नारायण पुरी (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
    12/1. हेमराज पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
    12/2. भूलीबाई पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नी श्री रामचन्द्र, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बाली, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
    12/3. सोदम बाई पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नी श्री मोहनलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बनिया, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

34. स्वर्गीय कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
    13/1. ओम प्रकाश पुत्र कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
    13/2. हंसराज पुत्र कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां
    13/3. मुरारी पुत्र कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां
    13/4. कैलाश कुमारी पुत्री कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान
    13/5. बृजेश कुमारी पुत्री कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी कोटा, जिला कोटा राजस्थान
    13/6. रामदुलारी पुत्री कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम नोनरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
    13/7. कुसुम पुत्री कन्हैयालाल, जाति गुसाई, निवासी कोटा

35. बाबूलाल पुत्र श्री श्यामलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

36. शांति बाई पुत्री श्री श्यामलाल, जाति गुंसाई, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान

37. विद्याबाई पुत्री श्री श्यामलाल पत्नी श्री रामनारायण, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान हाल निवासी ग्राम अकतासा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी राजस्थान

38. मांगीबाई पुत्री श्यामलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

39. कान्ति बाई पुत्री श्री श्यामलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

40. गीताबाई पुत्री श्री श्यामलाल, जाति गुसाई, निवासी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
    19/1. मूलचन्द आत्मज स्वर्गीय श्री बद्रीलाल जी, जाति गुंसाई, निवासी ग्राम टोडी मोहल्ला, मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
41. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार छबडा कार्यालय, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
42. सुशीला पुत्री स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी पत्नी छोटूलाल जी, जाति गुंसाई, निवासी ग्राम जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान

रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 12, 14, 17, 18 एवं श्री संजय शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 13/1 से 13/3 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 16.03.2026**

1. ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपजिला कलेक्टर, छबडा के प्रकरण संख्या – 19/2006 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2016 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 30.03.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई।
3. दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान खसरा नं. 13 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 14 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 15 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 16 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 17 रकबा 5 बिस्वा व खसरा नं. 85 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 37 बीघा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर, छबडा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2016 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 30.03.2016 से वाद वादी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

4. अपील संख्या 2016/00437 (183/2016) प्रारम्भिक डिक्री के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय हाजा में पूर्व में दर्ज हुए वाद संख्या 143/1984, 165/1984, 200/1984 निर्णित होकर माननीय निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल, अजमेर के यहां अपील संख्या 166/1997, 2/1998, 6/1998 का एक साथ निर्णय दिनांक 22.11.2005 को किया जाकर तीनों वादों को समेकित करते हुए विवादित बिन्दुओं का पुनः निर्धारण कर विवादित बिन्दुओं पर सभी पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार गुणावगुण पर वादों का निस्तारण करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये गये, इसी पालना में अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर, छबडा द्वारा दावा नं. 19/2006 में दिनांक 18.02.2016 को निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी ग्राम रीझां, तहसील छबडा, जिला बारां की कुल किता 6 कुल रकबा 37 बीघा को पक्षकारों के पूर्वज श्री गोपीपुरी (मृतक) के कब्जे काश्त की, को मृत्युपरांत पुत्र नारायण, देवलाल व माधोपुरी के सम्मिलित रूप से स्वामित्व मानकर वारिसान के बीच में विभाजन करने की प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय पारित किया है जो कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 09.12.2015 को पक्षकार ओम प्रकाश पुत्र कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज 1 संवत 1975, संवत 1976, संवत 1980, संवत 1982, संवत 1988, संवत 1995, संवत 1997, संवत 1998 की खतौनी को कानून में साक्ष्य मानकर एवं विश्वसनीय मानकर कानूनी भूल की है। क्योंकि उपरोक्त दस्तावेज उर्दू भाषा में है, जिनका अनुवाद हिन्दी में इनामुलहक एडवोकेट छबडा द्वारा करवाया हुआ है। जबकि वह अनुवादक इस मामले में विशेषज्ञ नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको साक्ष्य में परिक्षीत नहीं किया गया है। पक्षकारान को जिरह करने का अवसर नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में वादी की साक्ष्य को दिनांक 24.11.2015 को बन्द कर कानूनी भूल की है जबकि उसी दिन वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 व 151 सी.पी.सी. के तहत पेश किये गये, पर आदेश पारित किया था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की साक्ष्य को बन्द कर कानूनी भूल की है। प्रकरण को पुनः प्रेषित कर वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी भूल की है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत टोंक रियासत की खतौनी की नकले लगभग 90 वर्ष पुरानी है जिनमें दर्ज इन्द्राज को सही व विश्वसनीय नहीं मानकर कानूनी भूल की है। क्योंकि साक्ष्य अधिनियम के अनुसार इन दस्तावेजों के बारे में विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से अवधारणा बनाकर उपरोक्त भूमि को संयुक्त व शामलाती मानकर कानूनी त्रुटि की है जबकि 90 वर्ष से अधिक पुरानी खतौनी में माफीदार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपीलार्थीगण के पिता देवलाल ही अकेले थे और रेकार्ड से इसकी पुष्टि होती है जिससे प्रतिवादीगण व रेस्पोडेंट का वादीगण की उपरोक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा क्योंकि 90 वर्ष से अधिक पुरानी दस्तावेजों के बारे में अधीनस्थ न्यायालय ने विपरीत अवधारणा बनाकर रेस्पोडेंट के पक्ष में विभाजन किया है जबकि रिपोर्ट के अनुसार उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

5. अपील संख्या 2016 / 00436 (184 / 2016) अंतिम डिक्री के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री कानूनी न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री फरमाकर तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रेषित प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2016 आधार पर अन्तिम निर्णय एवम् डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय के अनुसार वाद संख्या 143 / 1984, 165 / 1984 एवम् 200 / 1984 को कन्सोलिडेट किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनो दावों को कन्सोलिडेट कर दिनांक 18.02.2016 को विभाजन को प्रारम्भिक निर्णय एवम् डिक्री सादिर फरमाकर वाद विषायक आराजीयात वाके ग्राम रीझां, तहसील छबड़ा, जिला बारां की 6 किता की 37 बीघा आराजीयात के सम्बन्ध में मृतक गोपीपुरी के तीन पुत्रों नारायण, देवलाल व माधों को क्रमशः 1 / 3, 1 / 3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुये देवलाल मृतक के वारिसान वादीगण अपीलान्ट्स एवम् मृतक नारायण व माधों के वारिसान प्रतिवादीगण रेस्पो० नम्बर 1 व 2 व कायम मुकामान 2(1) लगायत 2 (5) एवम् 3 लगायत 19 वे पक्ष में 1 / 3 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण रेस्पो० 12(1) लगायत 12 (3), 13(1) लगायत 13(7) एवम् 14 लगायत 19 को 1 / 3 हिस्से का खातेदार घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अमल दरामद किये जाने एवम् तहसीलदार छबड़ा से प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तलब किये जाने का निर्णय एवम डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। उक्त प्रारम्भिक निर्णय एवम् डिक्री के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा पूर्व में सम्माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। उक्त अपील सम्माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 09.12.2015 को प्रतिवादी रेस्पो0 नम्वर 13(1) ओम प्रकाश पुत्र कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संवत 1975, संवत 1976, संवत 1980, संवत 1982, संवत 1988, संवत 1995, संवत 1997, संवत 1998 की खतौनी को विश्वसनीय होना मानकर कानूनी भूल की है। क्योंकि उपरोक्त दस्तावेज उर्दू भाषा में है, जिनका अनुवाद हिन्दी में इनामुलहक एडवोकेट छबडा द्वारा करवाया हुआ है। जबकि वह अनुवादक इस मामले में विशेषज्ञ नहीं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको साक्ष्य में परिक्षीत नहीं किया गया है। पक्षकारान को जिरह करने का अवसर नहीं मिला। इस प्रकार उक्त अनुवाद प्रमाणित नहीं था जिसे आधार बनाने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद विषयक आराजीयात वा शामलाती खाते की होना मानकर तदनुसार विभाजन की प्रारम्भिक एवम् अन्तिम निर्णय एवम् डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। उक्त आराजीयात वादीगण अपीलान्ट्स के पिता के खाते में दर्ज थी वर्तमान में अपीलान्ट्स के खाते में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तहसीलदार छबड़ा को कमिश्नर नियुक्त कर तलब की गई थी। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका नहीं देखा गया तथा रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। कानूनगों व पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित एक पक्षीय त्रुटि पूर्ण एवम् मनमानी रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवम् डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। कानूनगों व पटवारी रिपोर्ट तैयार करने के लिये अधिकृत नहीं थे। उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट्स की कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। उक्त रिपोर्ट राजस्थान टीनेन्सी बोर्ड आफ रेवेन्यु 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व समस्त पक्षकारान एवम् वादीगण अपीलान्ट्स को कोई सूचना भी नहीं दी गई थी, रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वथा गलत एक पक्षीय अनाधिकृत रिपोर्ट को आधार बनाकर तथा वादी अपीलान्ट्स को आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही, उन्हें निर्णित किये बिना ही एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर निर्णय एवम डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि ही है। वादीगण अपीलान्ट्स के पिता श्री देव लाल जी उपरोक्त भूमि पर हैसियत माफीदार काबिज थे वक्त रिजम्पशन माफी भी काबिज थे, अतः देवलाल जी उर्फ देवपुरी जी उक्त भूमि के तन्हा खातेदार टीनेन्ट हो गये थे, इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवम् डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। देवलाल जी की मृत्यु हो चुकी है, वादीगण अपीलान्टस उनके पुत्र एवम् उत्तराधिकारी होने से उपरोक्त भूमि पर तन्हा रूप से काबिज है एवम् कानूनन उपरोक्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट हो गये हैं। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में भी अपीलान्ट्स खातेदार दर्ज हैं। अपीलाट उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर काबिज हैं। नारायण जी एवम् माधो जी एवम् उनके वारिसान प्रति0 रेस्पो० का उपरोक्त भूमि में कोई हक एवम् अधिकार नहीं है तथा हित निहित नहीं है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवम् डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। वादीगण अपीलान्ट्स सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर वैधानिक रूप से काजिज हैं अभी तक निर्णय एवम् डिक्री जैर अपील की पूर्ण पालना नहीं हुई है। प्रति0 रेस्पो0 निर्णय एवम् डिक्री जेर अपील की पालना कराने को तत्पर हैं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अतः निर्णय एवम् डिक्री जैर अपील की पालना स्थगित किया जाना न्यायोचित एवम् विधि संगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में कोई अनुतोष प्रदान नहीं करने में त्रुटि की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवम् डिक्री जेर अपील निरस्त फरमाया जावे तथा वादीगण अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण रेस्पों0 के विरुद्ध डिक्री फरमाया जावे।

7. दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध अपीलांट वादीगण ने यह अपील पेश की है। माननीय निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल, अजमेर के यहां अपील संख्या 166/1997, 2/1998, 6/1998 का एक साथ निर्णय दिनांक 22.11.2005 को किया जाकर तीनों वादों को समेकित कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 7 नियम 14 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र निर्णित करने से पूर्व सीधे ही हमारी साक्ष्य बन्द कर दी, जो त्रुटिपूर्ण है। न्यायहित में हमें साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 13/1 द्वारा जो दस्तावेज पेश किये वह प्रदर्श नहीं हुए। जो दस्तावेज उर्दू में थे वे भी पेश नहीं किये। सम्पूर्ण आराजी देवलाल के वारिसान को ही मिलनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है, जबकि दिनांक 12.08.2015 को प्रकरण में तनकीयात कायम की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकीयात का उल्लेख ही नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है तथा जो बंटवारा की रिपोर्ट तैयार की गई है वह भी पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अतः अपील खारिज की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2014–15 (सप्ली.) पेज 414 की नजीर उद्धरत की।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि गोपीपुरी वादग्रस्त आराजी का खातेदार था। गोपीपुरी के तीन पुत्र नारायणपुरी, देवलाल व माधो थे। वादग्रस्त आराजी फौती नामान्तरकरण सं 1/3, 1/3 दर्ज हुई है। नारायण की मृत्यु पर 1/3 कन्हैयालाल के दर्ज हुई है। देवलाल की मृत्यु पर 1/3 हिस्सा उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई है एवं माधो की मृत्यु पर 1/3 हिस्सा उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1984 पेज 51, आर.आर.डी. 14.10.2008 पेज 696, आर.बी.जे. 2017 (24) पेज 299, आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1050, आर.आर.डी. 1989 पेज 564, आर.बी.जे. 2010 (17) पेज 338, 2021 (2) डी.एन.जे. राजस्थान पेज 369 की नजीरे उद्धरत की।

10. ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

11. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

12. वर्तमान दोनों अपीलें न्यायालय उपजिला कलेक्टर, छबडा के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2016 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

13. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.05.2005 से वाद सं. 165/1984 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.1997 तथा वाद सं. 143/1984 व 200/1984 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.1997 तथा न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 81/1997, 80/1997 एवं 82/1997 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1997 को निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय उपजिला कलेक्टर, छबडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि वे तीनों वादों को समेकित करते हुए विवादित बिन्दुओं का पुनः निर्धारण करें तथा इन विवादित बिन्दुओं पर सभी पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवायी का अवसर देकर नियमानुसार गुणावगुण पर वादों का निस्तारण करें।

14. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही करते हुए दिनांक 18.02.2016 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर प्रकरण का निस्तारण करने में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.11.2005 में प्रदान किये गये निर्देशों की पालना का अभाव रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2015 को प्रकरण में अनुतोष सहित कुल 7 तनकीयात कायम की गई, जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है परन्तु विचारण न्यायालय अपने निर्णय में किसी भी तनकी का वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विधिवत विवेचन/विश्लेषण करते हुए तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है।

15. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति होना स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की है, परन्तु विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रस्तुत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य का विवेचन नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विचारण न्यायालय ने किसी राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर विवादित आराजी को पैतृक आराजी स्वीकार किया है। जबकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2005 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि, "विचारण न्यायालय के समक्ष तीनों वादों में विवादित भूमि के मूल खातेदार गोपीपुरी के होने के आधार पर पक्षकारों की पैतृक भूमि होने का विवाद वाद पत्र व जवाबदावे से परिलक्षित होता है तथा इस सम्बन्ध में यह निर्विवाद है कि भूमि के पैतृक होने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार एवं परीक्षण विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं हुआ।" विचारण न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2016 में विवादित आराजी को किस राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर पैतृक आराजी स्वीकार किया गया है इस सन्दर्भ में कोई विधिवत विवेचन/विश्लेषण अंकित नहीं है। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा आदेश 7, नियम 14 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2016 में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत साक्ष्य के विधिवत विवेचन एवं विश्लेषण का अभाव रहा है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम की गई परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं है।

16. विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2016 की पालना में तहसीलदार छबडा द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.03.2016 से उपजिला कलेक्टर, छबडा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया है उसमें राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना का अभाव रहा है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर तहसीलदार छबडा को प्रेषित किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा काउन्टर साइन किये गये। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करना एक आज्ञापक विधिक प्रावधान है, जिसकी पालना का अभाव अपीलाधीन निर्णय में रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करते समय उपरोक्त विधिक प्रावधान की पालना नहीं करने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.03.2016 विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2016/00437 (183/2016) विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री तथा अपील संख्या 2016/00436 (184/2016) विरूद्ध अंतिम डिक्री आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2016 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 30.03.2016 खारिज की जाती है। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 12 से 16 में किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय में दिनांक 11.05.2026 को उपस्थित होवे।

18. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/03/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा